न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. लक्खी आयु 38 साल } पुत्रान सुनभान जाति मीना निवासी कमरपुर
2. बबलू आयु 32 साल } (कोटे) तहसील व जिला करौली (राज0) – अपीलाण्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली जिला करौली (राज0) – रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 22.08.2019 न्यायालय तहसीलदार करौली मुकदमा उनवानी सरकार बनाम लक्खी वगै0 मुकदमा नम्बर 90/2019 जिसकी रूह से अपीलाण्ट्स को सिविल कारावास व पैनल्टी से दण्डित किया गया है के तहत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक 23.10.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कंवरपुर के खसरा नं. 2/1513 किस्म चरनोट के रकबा 2–00 बीघा पर बाजरा व तिल की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि करने पर तहसीलदार करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2019 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 22.08.2019 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली रेस्पोण्डेण्ट खिलाफे कानून, रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरविट्रेरी, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। जैर अपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से पारित किया गया है। जैर अपील निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का नोटिस व अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर विधि विरूद्ध रूप से एकपक्षीय पारित किया है। अपीलाण्ट का आराजी खसरा नम्बर 2/1513 रकबा 2 बीघा ग्राम कमरपुर तहसील करौली पर किसी प्रकार का अतिक्रमण व कब्जा नही है। भूमि मौके पर आज भी खाली पड़ी हुयी है। अपीलाण्ट का भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण व कब्जा नही है। इस बाबत अपीलाण्ट न्यायालय हाजा में अण्डरटेंकिग प्रस्तुत करने को तैयार है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध बिना जांच किये गलत रिपोर्ट पेश की है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय है विधि विरूद्ध है और पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि ग्राम कंवरपुर के खसरा नं. 2/1513 किस्म चरनोट के रकबा 2–00 बीघा पर बाजरा व तिल की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया था जिसकी चस्पानगी विधि से सम्यक् तामील होने के बावजूद

जिला कलक्टर
करौली

ना तो अपीलार्थीगण उपस्थित हुए और ना ही कोई जवाब पेश किया। इसलिये अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई जो विधिसम्मत् है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

तहसीलदार करौली से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार करौली ने पत्रांक–राजस्व/2019/738 दिनांक 15.10.2019 से मौका रिपोर्ट प्रेषित की जिसके अनुसार वर्तमान में भी अपीलार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा पाया गया है। फर्द मौका पर्चा पर अपीलार्थी लक्खी के स्वयं के हस्ताक्षर हैं।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा खसरा नं. 2/1513 किस्म चरनोट के रकबा 2–00 बीघा पर बाजरा व तिल की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर तहसीलदार करौली द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया था जिसकी विधिवत् तामील होने के बावजूद अपीलार्थीगण वक्त सुनवाई उपस्थित नहीं हुए थे जिसके कारण अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत् है। साथ ही तहसीलदार करौली से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का वर्तमान में भी कब्जा पाया गया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण इस न्यायालय में कब्जा नहीं होने बाबत् अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने हेतु तैयार होने का कथन लेकर आये हैं जो इस अदालत को गुमराह करने का प्रयास है। अपीलार्थीगण राजकीय चरनोट भूमि पर अतिक्रमण करने के आदी एवं इरादतन अतिक्रमी विदित होते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.08.2019 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

23/10/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली